फर्द अहकाम

मीठालाल बनाम बाबूलाल

नाम न्यायालय S.D.O. प्रथम, जयपुर

केस संख्या दावा 148/13

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	आज्ञा या ...
		दिनांक 8/1/18 को पत्रावली पेश हुई ... पी.आ.सा. ... अन्य राजकार्य ... पत्रावली ... दिनांक 22/1/18 ... पेश हो।	
	22/01/18	पत्रावली पेश हुई। मुताबिक तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव अनुसार वादी-वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल मिसल किया जायेगा। पत्रावली फैसल-शुमार नम्बर सेकन्ड हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर

प्रार्थना–पत्र संख्याः 148/13
पीठासीन अधिकारीः आशीष कुमार आर0ए0एस0

मीठालाल पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहाण निवासी सिरसी तहसील व जिला जयपुर।
————वादी

बनाम

1.बाबूलाल पुत्र रामू
2.ताराचन्द पुत्र रामू
3.हीरालाल उर्फ नानूराम पुत्र रामू
4.मदन पुत्र नन्दलाल
5.मुकेश पुत्र नन्दलाल
समस्त जाति अहीर निवासियान् सिरसी तहसील व जिला जयपुर।
6.रूपानारायण पुत्र मांगीलाल
7.हनुमान पुत्र मांगीलाल
समस्त जाति ब्राहामण निवासियान् सिरसी तहसील व जिला जयपुर।
8.राजस्थान सकार जरिये तहसीलदार जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
9.उप पजीयक जयपुर तृतीय तहसील जिला जयपुर।
10. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा जयपुर।
————प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :22.01.2018

वादी की और से प्रस्तुत वाद–पत्र राजस्व ग्राम सिरसी भू–अभिलेख निरीक्षक पश्चिम, तहसील–जयपुर स्थित आराजी खसरा न0 2024 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा, खं.न. 2037 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा कुल किता 2 कुल रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा दिनाक 27.06.2017 को केम्प कोर्ट बोयतावाला में वर्तमान राजस्व रिकार्ड के राजस्थान काश्तकारी विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुये वाद–पत्र में प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी तथा तहसीलदार जयपुर से कुर्रेजात प्रस्ताव चाहे गये थे। तहसीलदार–जयपुर द्वारा पंत्राकः भू.अ./कुर्रेजात/2017/7070 दिनाक 06.12.2017 के सलग्नक कुर्रेजात प्रस्ताव भिजवाये गये। तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्तावों को शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र व तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्तावों पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा नक्शा ट्रेस आदि का भी अवलोकन किया गया पक्षकारों के मध्य प्रस्तुत वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद है ऐसे में यदि वादग्रस्त आराजी का विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद है, ऐसे में यदि वादग्रस्त आराजी का विभाजन उचित समय रहते किया जाता है, तो वाद कारण शेष नहीं रहेगे। तहसीलदार–जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्तावों के पक्षकारों मे मध्य वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाना न्यायोचित है अतः विभाजन निम्नानुसार किया जाता हैः

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

क्र. स.	नाम खातेदार	खं. न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	बाबूलाल पुत्र रामू हि0 27/221 ताराचन्द पुत्र रामू हि0 77/221 हीरालाल उर्फ नानूराम पुत्र रामू हि0 47/221 मदन पुत्र नन्दलाल हि0 22/221 मुकेश पुत्र नन्दलाल हि0 48/221 जाति अहीर सा0 देह	2024/1	11–01	बरानी	13.81
		किता 1	11–01		13.81
2.	रूपनारायण पुत्र मागीलाल हि0 1/3 किला रहन हनुमान पुत्र मांगीलाल हि0 1/3 मीठालाल पुत्र मांगीलाल हि0 1/3 राहिन मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा पांच्यावाला मर्तहीन जाति हरियाना ब्रा0सा0देह	2024/2 2037	1–01 9–19	बरानी1 बरानी2	
		किता 2	11–00		10.77

उपर्युक्त अनुसार पक्षकारों के मध्य हुये विभाजन अनुसार पृथक–पृथक खाते तैयार किये जावे तथा लगान का निर्धारण करें। अंतिम डिक्री जारी हो।

आज दिंनाक 22.01.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गेया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम जयपुर

अ० डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम..... मुकाम .....जयपुर.....
ब अलजास .....आशीष कुमार (आर.ए.एस.).....
.....मीठालाल..... बनाम .....बाबूलाल वगैरह.....

दावा बाबत् –विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकद्दमा नं. .....148..... सन् .....2013.....

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू .....
व हाजरी ..... मिनजामिन मुद्दई रूबरू .....
..... मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ग्राम सिरसी तहसील–जयपुर स्थित आराजीयात खसरा नं. 2024 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 2037 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा अन्तर्गत तहसीलदार जयपुर द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :– .....लगातार (कृ.प.उ.)...पृष्ठ 2 पर .....
.....निज.....मबलिक.....बाबत् .....
..... खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद वगैरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियत तक ..... को अदा करें।

वसूलियाव तक ..... को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....22.01. ..... सन् .....2018..... को जारी किया गया।

दस्तखत .....उप खण्ड अधिकारी.....
ओहदा .....जयपुर (प्रथम), जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्आम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्आम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	--		फीस कमिश्नर	--	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

.....लगातार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर

...............लगातार

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	लगान
1	बाबूलाल पुत्र रामू हि० 27/221 ताराचन्द पुत्र रामू हि० 77/221 हीरालाल उर्फ नानूराम पुत्र रामू हि० 47/221 मदन पुत्र नन्दलाल हि० 22/221 मुकेश पुत्र नन्दलाल हि० 48/221 जाति अहीर सा० देह	2024/1	11-01	बरानी	13.81
		किता 1	11-01		13.81
2	रूपनारायण पुत्र मांगीलाल हि० 1/3 किला रहन हनुमान पुत्र मांगीलाल हि० 1/3 मीठालाल पुत्र मांगीलाल हि० 1/3 राहिन मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा पांच्यावाला मर्तहीन जाति हरियाना ब्रा.सा.देह	2024/2 2037	1-01 9-19	बरानी 1 बरानी 2	
		किता 2	11-00		10.77

उपर्युक्त अनुसार पक्षकारों के मध्य उक्तानुसार विभाजन कर पृथक-पृथक खाते कायम करें व लगान का निर्धारण भी करें।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर